<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/67/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 09.11.2026

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

सेतु मामला आईडी - AD/OI/079/2026

विषय: चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से "एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, संरचनाएं और उनसे निर्मित वस्तुएं" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/67/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके बाद 'पाटन रोधी नियमावली, 1995' अथवा 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में संदर्भित) को एल्युमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (इसके बाद 'एलेमाई' या 'संघ' के रूप में संदर्भित) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह संघ "एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, संरचनाएं और उनसे निर्मित वस्तुएं" (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद', 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा 'पीयूसी' के रूप में संदर्भित) के 228 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एलेमाई ने कहा है कि चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड (इसके बाद

'संबद्ध देश' के रूप में संदर्भित) से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

1. एलेमाई के सदस्य नौ घरेलू उत्पादकों ने भी पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। इन कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, एलेमाई के सदस्य 3 घरेलू उत्पादकों ने 4 नवंबर 2026 के पत्रों के माध्यम से संबद्ध देशों से आयात के संबंध में लागत की संक्षिप्त जानकारी तथा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

2. एलेमाई ने प्रस्तुत किया है कि उसके अधिकांश सदस्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई श्रेणी की छोटी इकाइयां हैं। संघ ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि संघ और उसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों में उल्लिखित तथ्यों तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर जांच शुरू करने पर विचार किया जाए।

3. प्राधिकारी ने एलेमाई तथा उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और वाणिज्य विभाग के व्यापार आसूचना एवं विश्लेषण (टीआईए) पोर्टल से प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयात आंकड़ों की जांच की है। आयात आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है तथा इन देशों का संयुक्त हिस्सा जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का लगभग 90 प्रतिशत था।

4. नियमावली के नियम 5(4) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> *"(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से जांच शुरू कर सकता है, यदि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर उसका यह समाधान हो जाता है कि उप-नियम (3) के खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।"*

5. तदनुसार, प्राधिकारी नियमावली के नियम 5(4) के अंतर्गत एलेमाई और उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा दी गई जानकारी तथा अभिलेख पर उपलब्ध आयात आंकड़ों का संज्ञान लेता है, ताकि यह जांच की जा सके कि नियमावली के नियम 5(3)(ख) में निर्दिष्ट पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, संरचनाएं और उनसे निर्मित वस्तुएं" है। संबद्ध वस्तुएं मिश्रधातुयुक्त अथवा गैर-मिश्रधातुयुक्त हो सकती हैं और एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा प्रोफाइल (ठोस, खोखली या अर्ध-खोखली), बार, रॉड, ट्यूब और पाइप के रूप में निर्मित की जाती हैं।

7. संबद्ध वस्तुएं मिल फिनिश अथवा सतही उपचारित अवस्था (एनोडाइज्ड, पाउडर कोटेड, लिक्विड पेंटेड, इलेक्ट्रोफोरेटिक कोटेड, वुड-ग्रेन अथवा सब्लिमेशन फिनिश, पॉलिश्ड या ब्रश्ड) में बेची जाती हैं। इन वस्तुओं को उसी रूप में अथवा आगे फैब्रिकेट करके (अर्थात निर्धारित लंबाई में काटकर, ड्रिलिंग, पंचिंग, नॉचिंग, माइटर कटिंग, मोड़ने, वेल्डिंग, मशीनिंग अथवा थ्रेडिंग करके) बेचा जा सकता है और इनका उपयोग अंतिम उपभोग के लिए संरचनाओं तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।

8. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) वास्तुशिल्प, औद्योगिक, परिवहन, विद्युत और सामान्य इंजीनियरिंग उपयोगों के लिए एक्सट्रूडेड प्रोफाइल;

(ख) वायर रॉड को छोड़कर एक्सट्रूडेड बार और रॉड;

(ग) एक्सट्रूडेड सीमयुक्त अथवा सीमलेस ट्यूब और पाइप, चाहे बाद में उनकी ड्रॉइंग की गई हो अथवा नहीं;

(घ) एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से निर्मित दरवाजे, खिड़कियां तथा उनके फ्रेम और दहलीज, कर्टेन-वॉल एवं फसाड प्रणालियां, पार्टिशन, लूवर, रेलिंग और बैलस्ट्रेड, तथा अन्य संरचनाएं

और संरचनाओं के भाग; साथ ही संरचनाओं में उपयोग के लिए तैयार किए गए प्रोफाइल, ट्यूब और इसी प्रकार की वस्तुएं; तथा

(ङ) मुख्यतः एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से निर्मित अन्य वस्तुएं, जैसे हीट सिंक, एलईडी और लाइटिंग प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग (टी-स्लॉट) प्रोफाइल, सौर पैनल माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां और फर्नीचर, रसोईघर एवं वार्डरोब प्रोफाइल, साइकिल के पुर्जे और फॉर्मवर्क।

9. एलेमाई ने प्रस्तुत किया है कि एक्सट्रूजन प्रक्रिया से निर्मित प्रोफाइल, बार, रॉड, ट्यूब, संरचनाएं और अन्य वस्तुएं एक ही उत्पाद के अलग-अलग प्रकार हैं, क्योंकि (क) सभी रूप एल्यूमिनियम बिलेट से बनाए जाते हैं, जो आवश्यक मिश्रधातु तत्वों के साथ प्राथमिक एल्यूमिनियम इंगट और/अथवा एल्यूमिनियम स्क्रैप से ढाले जाते हैं; (ख) सभी रूप उसी हाइड्रोलिक एक्सट्रूजन प्रेस पर बिलेट को गर्म करने, एक्सट्रूजन, क्वेंचिंग, स्ट्रेचिंग, कटिंग और एजिंग के समान चरणों से तैयार किए जाते हैं तथा खोखली और ठोस प्रोफाइल के बीच केवल डाई का अंतर होता है; (ग) संरचनाएं और अन्य वस्तुएं एक्सट्रूडेड प्रोफाइल को केवल काटकर, मशीनिंग, वेल्डिंग अथवा जोड़कर बनाई जाती हैं तथा एक्सट्रूडेड प्रोफाइल अंतिम संरचना या वस्तु को उसका मूल स्वरूप प्रदान करती है और उसकी लागत का प्रमुख भाग होती है; तथा (घ) प्रत्येक चरण का उत्पाद (प्रोफाइल, संरचना या वस्तु) उसी रूप में बेचा जा सकता है।

10. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करता है कि दायरे में शामिल संरचनाएं और अन्य वस्तुएं एक्सट्रूडेड प्रोफाइल को काटकर, मशीनिंग, वेल्डिंग अथवा जोड़कर बनाई जाती हैं। ये अतिरिक्त प्रक्रियाएं हैं तथा संरचनाओं और वस्तुओं के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त कच्चे माल, संयंत्र या मूल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए एक्सट्रूजन प्रक्रिया से निर्मित एल्यूमिनियम प्रोफाइल, संरचनाओं और अन्य वस्तुओं को विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना गया है। इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में इसके दायरे की आगे जांच की जाएगी।

11. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग वास्तुशिल्प, औद्योगिक, परिवहन, विद्युत और सामान्य इंजीनियरिंग के अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे खिड़कियां, दरवाजे, कर्टेन-वॉल और फसाड प्रणालियां, पार्टिशन, रेलिंग, हीट सिंक और लाइटिंग प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग, सौर पैनल माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां, फर्नीचर, रसोईघर और वार्डरोब प्रोफाइल, साइकिल के पुर्जे तथा फॉर्मवर्क।

12. मुख्य कच्चा माल एल्यूमिनियम बिलेट है, जो प्राथमिक एल्यूमिनियम और/अथवा एल्यूमिनियम स्क्रैप को पिघलाकर तथा अपेक्षित मिश्रधातु प्राप्त करने के लिए अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा मिलाकर तैयार किया जाता है। बिलेट को आवश्यक लंबाई में काटकर लगभग 450-500°C तक गर्म किया जाता है तथा हाइड्रोलिक रैम से डाई के माध्यम से दबाकर निकाला जाता है। एक्सट्रूडेड प्रोफाइल को ठंडा किया जाता है, खींचा जाता है, मानक लंबाई में काटा जाता है तथा अपेक्षित कठोरता और मजबूती (जैसे टी5 अथवा टी6 टेम्पर) प्राप्त करने के लिए ओवन में एजिंग की जाती है। इसके बाद प्रोफाइल को एनोडाइज्ड, पाउडर कोटेड या अन्य प्रकार से फिनिश किया जा सकता है और संरचनाएं तथा अन्य वस्तुएं बनाने के लिए काटा, ड्रिल, पंच, मशीन, वेल्ड अथवा जोड़ा जा सकता है।

13. प्राधिकारी नोट करता है कि चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सोलर पैनल/मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम" के आयात पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 16/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 सितंबर 2024 के माध्यम से वर्तमान में पाटन रोधी शुल्क लागू है। वर्तमान जांच के दायरे में ऐसी वस्तुओं के संबंध में अपनाए जाने वाले व्यवहार की जांच जांच की कार्यवाही के दौरान की जाएगी तथा इच्छुक पक्षकार इस विषय पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

14. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) रखी गई है, क्योंकि यह उत्पाद विभिन्न आकारों और प्रकारों में उत्पादित एवं बेचा जाता है तथा वजन के आधार पर इसकी तुलना करना सबसे उपयुक्त है।

15. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अंतर्गत टैरिफ मद 7604 10 20, 7604 10 31, 7604 10 39, 7604 21 00, 7604 29 30, 7604 29 90, 7608 10 00, 7608 20 00, 7610 10 00, 7610 90 10, 7610 90 20, 7610 90 30, 7610 90 90 तथा 7616 99 90 में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे के निर्धारण में बाध्यकारी नहीं है।

16. इस चरण पर कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या ('पीसीएन') पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई है। प्राधिकारी जांच के दौरान इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर पीसीएन पद्धति की आवश्यकता निर्धारित करेगा।

17. सभी इच्छुक पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे ज्ञात इच्छुक पक्षकारों और संबद्ध देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित सूचना-पत्रों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान जांच शुरू किए जाने के आधार में प्रयुक्त जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण तथा संबंधित प्रश्नावली शामिल हैं, के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ग. समान वस्तु

18. एलेमाई ने दावा किया है कि भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, मिश्रधातुओं, निर्माण प्रक्रिया, कार्यों एवं उपयोगों, विनिर्देशों, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से ये वस्तुएं तुलनीय हैं और तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं। अतः नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजन से भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं पात्रता

19. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाला भारतीय उद्योग बिखरी हुई इकाइयों वाला है तथा इसमें मुख्यतः एमएसएमई श्रेणी की इकाइयां शामिल हैं। एलेमाई भारत में संबद्ध वस्तुओं के 228 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के प्रावधानों के अंतर्गत यह अभ्यावेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है।

20. उद्योग के एमएसएमई स्वरूप, बिखरी हुई संरचना और बड़ी संख्या में उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी 29 जुलाई 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अंतर्गत घरेलू उत्पादकों से उक्त व्यापार सूचना में उल्लिखित अनुबंध-I के अनुसार जानकारी मांगता है। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का दायरा निर्धारित करेगा और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन से घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण करेगा। अतः घरेलू उद्योग में शामिल सभी उत्पादकों की जानकारी क्षति विश्लेषण के लिए विचार में ली जाएगी, जबकि क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण नमूने में चुने गए उत्पादकों के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

ङ. संबद्ध देश

21. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड हैं (इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में संदर्भित)।

च. जांच अवधि

22. वर्तमान जांच की जांच अवधि ('पीओआई') 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 (15 माह) तक है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा जांच अवधि शामिल हैं।

23. नियमावली के नियम 5(3A) में प्रावधान है कि जांच की शुरुआत की तारीख को जांच अवधि छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा सामान्यतः 12 माह की होनी चाहिए। हालांकि लिखित रूप में कारण दर्ज करके प्राधिकारी न्यूनतम छह माह अथवा अधिकतम अठारह माह की अवधि पर विचार कर सकता है। वर्तमान मामले में घरेलू उत्पादक मुख्यतः एमएसएमई इकाइयां हैं, जो अपने अभिलेख वित्त वर्ष के आधार पर रखती हैं। जुलाई 2025 से जून 2026 तक की 12 माह की अवधि अपनाने से ऐसे उत्पादकों को जानकारी तैयार करने और उसके सत्यापन में काफी व्यावहारिक कठिनाइयां होतीं। अतः जांच अवधि में पूरे वित्त वर्ष 2025-26 को शामिल करना उपयुक्त माना गया है और इससे आंकड़ों में विकृति आने की संभावना नहीं है। तदनुसार, वर्तमान मामले में 15 माह की जांच अवधि अपनाई गई है।

छ. कथित पाटन का आधार

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

24. प्राधिकारी की पद्धति तथा नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 के साथ पठित चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) को ध्यान में रखते हुए, चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जा सकता है कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, ताकि जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग किया जा सके। जब तक चीनी उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना है।

25. चूंकि इस चरण में (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत; (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य; (ग) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत, के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जांच दल ने दायर किए गए अभ्यावेदनों में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर, एलेमाई के सदस्य 3 घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत संबंधी जानकारी के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करने के बाद किया गया है।

<u>अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य</u>

26. मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में प्रचलित संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में इस चरण में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे देशों में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः, जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, इन देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भी सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के रूप में एलेमाई के सदस्य 3 घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

27. निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्राधिकारी ने वाणिज्य विभाग के व्यापार आसूचना एवं विश्लेषण (टीआईए) पोर्टल से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर कारखानाद्वार स्तर की निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय मालभाड़ा, कमीशन आदि के लिए निर्यात कीमतों में समायोजन किया गया है।

28. तदनुसार, उपर्युक्त गणना किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य

कारखानाद्वार स्तर की निर्यात कीमत से अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन नगण्यता सीमा (डी मिनिमिस) से अधिक होने का अनुमान है।

ज. कथित क्षति का आधार

29. एलेमाई ने प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं कि भारत में घरेलू उद्योग को देश में पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपलब्ध जानकारी से यह भी संकेत मिलता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई और उद्योग घाटे में चल रहा है। उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है। उद्योग की उत्पादन क्षमताओं का उपयोग भी काफी कम हो रहा है। यद्यपि इस चरण पर आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव के संबंध में पूरी जानकारी प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

झ. स्वप्रेरणा से पाटन रोधी जांच की शुरुआत

30. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, एलेमाई और उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा अभिलेख पर उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, उससे घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसा कि नियमावली के नियम 5(3)(ख) में निर्दिष्ट है। अतः प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9क को नियमावली के नियम 5(4) के साथ पढ़ते हुए, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर

करने के लिए पर्याप्त पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के उद्देश्य से एतद्द्वारा स्वप्रेरणा से पाटन रोधी जांच शुरू करता है।

ञ. प्रक्रिया

31. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

32. सभी इच्छुक पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। इच्छुक पक्षकारों की ओर से सभी पत्राचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी - AD/OI/079/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुतियों का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ों की फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

33. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

34. संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों, जिनमें एलेमाई के सदस्य तथा भारत के अन्य उत्पादक भी शामिल हैं, को इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर 29 जुलाई

2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुबंध-I में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

35. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति इस अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाला पक्षकार उसका गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

36. इच्छुक पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच की आगे की प्रगति से अवगत रहने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखें। इसके अंतर्गत प्रश्नावली के प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन संबंधी चर्चा/बैठक का कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य सूचनाएं शामिल हैं।

ठ. समय-सीमा

37. वर्तमान जांच से संबंधित सभी जानकारी इच्छुक पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपने पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी - AD/OI/079/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), ज्ञात इच्छुक पक्षकारों तथा संबद्ध देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों को सूचना-पत्रों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान जांच शुरू किए जाने के आधार में प्रयुक्त जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण और संबंधित प्रश्नावली शामिल हैं, के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए, जैसा कि नियमावली के नियम 6(4) में प्रावधान है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।

38. सभी इच्छुक पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से वर्तमान मामले में अपनी रुचि (रुचि के स्वरूप सहित) सूचित करें तथा अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

39. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

40. **विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार:** यदि प्राधिकारी बाद की किसी सूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन में इस अधिसूचना से भिन्न अथवा पहले प्रस्तावित न किए गए तरीके से संशोधन करता है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से दी जाएगी। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें जांच की शुरुआत के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यदि 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाता है, तो उससे आगे समय-विस्तार के अनुरोधों पर नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

41. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा समाप्त होने से कम-से-कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

42. यदि वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति देता है या गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है, तो उसे नियमावली के नियम 7(2) तथा

इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण भी साथ ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त आवश्यकता का पालन न किए जाने पर प्रश्नावली के उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

43. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (इसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) देने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

44. ऐसी प्रत्येक प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'गैर-गोपनीय' अंकित होना चाहिए। इस प्रकार का अंकन किए बिना प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किसी भी सामग्री को प्राधिकारी गैर-गोपनीय सूचना मानेगा तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

45. गोपनीय संस्करण में वह समस्त जानकारी शामिल होनी चाहिए जो अपनी प्रकृति से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य जानकारी जिसे उपलब्ध कराने वाला पक्षकार गोपनीय होने का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय या अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा की गई जानकारी के संबंध में उस जानकारी को उपलब्ध कराने वाले पक्षकार को उचित कारण दर्शाने वाला विवरण भी देना होगा, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि ऐसी जानकारी प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

46. इच्छुक पक्षकारों द्वारा दाखिल जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा (जहां सूचकांकीकरण संभव न हो) रिक्त रखा जाए। गोपनीयता का दावा की गई जानकारी की प्रकृति के अनुसार उसका उपयुक्त और पर्याप्त सारांश भी दिया जाना चाहिए।

47. गैर-गोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय

जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश बनाना संभव नहीं है। ऐसे मामले में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, इसका पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

48. इच्छुक पक्षकार दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता संबंधी मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

49. कोई भी प्रस्तुति, जिसका सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा जिसके गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित उचित-कारण विवरण नहीं दिया गया है, प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।

50. प्राधिकारी प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति की जांच करके गोपनीयता संबंधी अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा जानकारी उपलब्ध कराने वाला पक्षकार उसे सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत रूप अथवा सारांश के रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

51. प्राधिकारी, प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक होने के संबंध में संतुष्ट होने तथा उस गोपनीयता को स्वीकार कर लेने पर, जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना उसे किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

52. किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ण. असहयोग

53. यदि कोई इच्छुक पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच देने से इनकार करता है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 09-11-2026
11:57:14

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी